



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 14 लाख रू० अर्थदण्ड एवं 01 अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 06 लाख रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.08.2019 को अभियुक्तगणों द्वारा वादी के घर में घुसकर मारपीट करने, सामान उठा ले जाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना गंज पर मु०अ०सं०- 556/2019 धारा- 447, 452, 504, 506, 307, 392, 411, 120बी भादवि बनाम 1. मौ० आजम खाँ पुत्र स्व० मुमताज खाँ निवासी घेरमीर बाज खाँ टंकी नं० 05 जेल रोड थाना गंज, रामपुर 2.बरकत अली उर्फ ठेकेदार पुत्र बन्ने खाँ निवासी चौकी वैरियर वन के सामने नगरिया परिक्षित रोड थाना इज्जतनगर, बरेली पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक-30.05.2024 को मा० न्यायालय एम०पी० / एम०एल०ए० कोर्ट, रामपुर द्वारा अभियुक्त 1.मौ० आजम खाँ उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व 14 लाख रू० अर्थदण्ड 2.बरकत अली उर्फ ठेकेदार उपरोक्त को 07 वर्ष कारावास व 06 लाख रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त 1.मौ० आजम खाँ उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व 14 लाख रू० अर्थदण्ड 2.बरकत अली उर्फ ठेकेदार उपरोक्त को 07 वर्ष कारावास व 06 लाख रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826